<u>कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश</u>

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री कैमेरो टेक्नोसिस लि0, सी-6, पनकी इण्डस्ट्रियल एरिया, साइट-1, कानपुर।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**020 / 10, 26.02.2010**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ ।**

<u>उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय</u>

सर्वश्री कैमेरो टेक्नोसिस लि0, सी-6, पनकी इण्डस्ट्रियल एरिया, साइट-1, कानपुर द्वारा दिनांक 26.02.2010 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा '' एल्युमिनियम के थ्री / फोर-वे ज्वाइन्ट (Three way Joint with Base Plate for TEFS) टेन्ट एक्सटेम्बल फ्रेम सपोर्ट '' पर, वैट अधिनियम के अन्तर्गत कर की दर जाननी चाही गयी है ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 13.02.2014 के लिए नोटिस भेजी गई । उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

3. उपरोक्त संदर्भ में ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग-ए, कानपुर द्वारा पत्र संख्या-4230, दिनांक 12.03.2010 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि एल्युमिनियम एसेसरीज उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II के भाग-क के क्रमांक-48 अथवा 87 से आच्छादित नहीं है क्योंकि इनमें केवल फेरिस तथा नान फेरिस मेटल तथा एलाय, नान-मेटल जैसे-एल्युमिनियम, तॉबा तथा जस्ता एवं उनके एक्सट्रूजन एवं ज्वाइन्टिंग मैटेरियल सम्मिलित हैं जिसकी सूची क्रमांक-87 में अंकित है और इसमें एल्युमिनियम ऐसेसरीज सम्मिलित नहीं है ।

इस प्रकार याची द्वारा उल्लिखित वस्तुओं अर्थात एल्युमिनियम के थ्री / फोर-वे ज्वाइन्ट (Three way Joint with Base Plate for TEFS) टेन्ट एक्सटेम्बल फ्रेम सपोर्ट तथा टेन्ट लगाने हेतु एल्युमिनियम एसेसरीज पर अवर्गीकृत वस्तु की भॉंति 12.5% VAT तथा 1% SAT की दर से करदेयता होगी।

पुन: एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-प्रथम, कानपुर के पत्र संख्या-250, दिनांक 09.05.2014 एवं पत्र संख्या-619, दिनांक 21.06.2014 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि प्रार्थी के वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 के अन्तिम कर निर्धारण आदेश पारित किये जा चुके हैं । वित्तीय वर्ष 2010-11 के वाद में एल्युमिनियम के थ्री / फोर-वे ज्वाइन्ट की बिक्री पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-31 के अन्तर्गत आदेश पारित करते हुए एल्युमिनियम के थ्री / फोर-वे ज्वाइन्ट की बिक्री पर अवर्गीकृत वस्तु की भॉंति 13.5% की दर से कर आरोपित किया गया है ।

यह भी अवगत कराया गया है कि वर्तमान में प्रार्थी द्वारा एल्युमिनियम शू मोल्ड, सेफ्टी शू तथा इन्जेक्टेड सोल की बिक्री घोषित करते हुए अवर्गीकृत वस्तु की भॉंति 12.5% + 1.5% की दर से करदेयता स्वीकार करते हुए कर एवं रिटर्न जमा किया जा रहा है ।

.....2

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-प्रथम, कानपुर की आख्या के अनुसार प्रार्थी द्वारा वर्तमान में मासिक / त्रैमासिक रिटर्न तथा 12.5% + 1.5% की दर से कर जमा किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 में प्रश्न पूछा गया था। वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 का अन्तिम कर निर्धारण आदेश पारित हो चुका है। अत: प्रासंगिक न होने के कारण उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य नहीं होना चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग-ए, कानपुर, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-प्रथम, कानपुर द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्रश्नकर्ता प्रार्थी नियमित रूप से मासिक / त्रैमासिक रिटर्न तथा कर जमा करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर (1964 AIR 766) एवं माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा-35 के सम्बन्ध में पारित निर्णय कमिश्नर बिक्रीकर, उ0 प्र0 बनाम सर्वश्री राना मसाला उद्योग 1983 ATJ 240 के आलोक में मासिक रिटर्न फार्म-24 जमा करने के कारण कर-निर्धारण अधिकारी के समक्ष कार्यवाही विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 का अन्तिम कर निर्धारण आदेश पारित किया जा चुका है। प्रार्थी का प्रश्न प्रासंगिक नहीं रह जाता है। अत: धारा-59 (1) के प्राविधानों के अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 07 जुलाई, 2014

ह0 / 07.07.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।